रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2016, शनिवार/ पौष 4—पौष 10, 1938
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2016, SATURDAY/PAUSA 4 —PAUSA 10, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 243.—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2001, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (लेखा अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखा अधिकारी	191* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल – 9	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :-वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिसने संबंधित काडर में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति :- भारत सरकार के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में या किसी लेखा काडर संगठन के किसी काडर नियंत्रक कार्यालयों में ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 लेने वाले ऐसे लेखा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी का सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में सहायक लेखा अधिकारी/ सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हों । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. संबंधित राज्य का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष 2. संबंधित राज्य में काडर नियंत्रक अधिकारी से भिन्न ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य 3. संबंधित राज्य में काडर नियंत्रक अधिकारी से भिन्न अगला ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य टिप्पणः- जहाँ कोई अधिकारी रिक्ति या पद की अनुपलब्धता या लंबी अनुपस्थिति के कारण राज्य में उपलब्ध नहीं होता है तो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य से बाहर का कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और उनमें से सबसे ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है ।

अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. लेखापरीक्षा अधिकारी	891* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का लेवल –9	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में ऐसे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी जिसने संबंधित काडर में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. संबंधित राज्य का काडर नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष 2. संबंधित राज्य में काडर नियंत्रक अधिकारी से भिन्न ज्येष्ठतम अधिकारी - सदस्य 3. संबंधित राज्य में काडर नियंत्रक अधिकारी से भिन्न अगला ज्येष्ठतम अधिकारी -सदस्य टिप्पणः- जहाँ कोई अधिकारी रिक्ति या पद की अनुपलब्धता या लंबी अनुपस्थिति के कारण राज्य में उपलब्ध नहीं होता है तो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य से बाहर का कोई अधिकारी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : भारत सरकार के अधीन भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में या किसी लेखा काडर संगठन के किसी काडर नियंत्रक कार्यालयों में ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9 लेने वाले ऐसे लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी का सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और उनमें से सबसे ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा।	

[फा. सं. ए/12018/07/2012-ई जी]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 21st December, 2016

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department, (Accounts Officer /Audit Officer) Group 'B' post Recruitment Rules 2001, Indian Audit and Accounts Department [Audit Officer (Commercial)] Group 'B' Recruitment Rules 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the posts of Accounts Officer /Audit Officer, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Accounts Officer and Audit Officer) Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**— The number of posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

5. **Disqualifications.**— No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Accounts Officer	* (191) (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level 9 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Accounts Officer in level 8 of Pay Matrix with five years of regular service in the respective cadre. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers in any other Cadre Controlling Offices in the Indian Audit and Accounts Department or in any organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Accounts Officer / Audit Officer drawing the pay in Level 9 of Pay Matrix on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Grade of Assistant Accounts Officer / Assistant Audit Officer in Level 8 of Pay Matrix in the parent cadre or department. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State -Chairperson; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State -Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State -Member. **Note**: Where any officer is not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence, the Comptroller and Auditor General of India may nominate an officer from outside the State and the senior most amongst them shall be the Chairperson.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Audit Officer.	* (891) (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 9 of Pay Matrix.	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Audit Officer in Level 8 of Pay Matrix with five years of regular service in the respective cadre. **Note 1:** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers in any other Cadre Controlling Offices in the Indian Audit and Accounts Department or	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State —Chairperson; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State —Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State —Member. **Note**: Where any officer is not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence, the Comptroller and Auditor General of India may nominate an officer from outside the State and the senior most amongst them shall be the Chairperson.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

in any organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Audit Officer or Accounts Officer drawing the pay in Level 9 of Pay Matrix on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Grade of Assistant Audit Officer or Assistant Accounts Officer in Level 8 of Pay Matrix in the parent cadre or department. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No A-12018/07/2012-EG.]

NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)